(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3 (77)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/ 199

Dated: 16/28/21

Notification No. 38/2020- State Tax

No. F.3(77)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/
-In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2020.
- (2) Save as otherwise provided, they shall come into force with effect from 05th day of May, 2020.
- 2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 21st April, 2020, in rule 26 in sub-rule (1), after the proviso, following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of June, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** verified through electronic verification code (EVC)."

3. In the said rules, after rule 67, with effect from a date to be notified later, the following rule shall be inserted, namely: -

"67A.Manner of furnishing of return by short messaging service facility.Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in FORM GSTR-3B for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return through a short messaging service using the registered mobile number and the said return shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation. - For the purpose of this rule, a Nil return shall mean a return under section 39 for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B**.".

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

No. F.3 (77)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV//94

Dated: 16/2/21

Copy forwarded for information to:-

- 1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- 2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

1. Website.

12. Guard File.

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* notification dated the 22nd June, 2017, published *vide* No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended vide Notification No. 30/2020- State Tax, dated the 21st December, 2020, published *vide* No. F.3 (64)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/237, dated the 21st December, 2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (ट्यय-IV) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0फा0 03(77) / वित्त (व्यय-IV) / 2020-21 / डीएस- IV //९५ अधिसूचना संख्या 38 / 2020-राज्य कर दिनांकः *16/2/21*

सं0फा0 03(77) / वित्त (ट्यय—IV) / 2020—21 / डीएस— IV /: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2020 है।
 - (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 5 मई, 2020 से लागू होंगे।
- 2. दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) में, 21 अप्रैल 2020 से, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :----

"परंतु और कि किसी भी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रिजस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप जीएसटीआर—3ख में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमित है।" ।

3. उक्त नियम के नियम 67 के पश्चात, इसे बाद में अधिसूचित किये जाने की तारीख से, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :——

"67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्रबंध — इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिससे धारा 39 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर—3ख में किसी कर अविध की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी को रिजस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त रिटर्न का सत्यापन उसके रिजस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्परष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी का मतलब धारा 39 के अधीन किसी कर अवधि से संबंधित कोई ऐसी विवरणी है जिसमें प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्ट ना हो ।"।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> > रानाज कुमार) उप सचिव- IV (वित्त)

दिनांकः 16/4/41

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

- 2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
- 3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

- 5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8. संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन संभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11. वैब साईट।

12. गार्ड फाइल।

प्राचिव IV (वित्त)

टिप्पणः मूल नियम सं०फा० 03(10)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017-राज्य कर , तारीख 22 जून, 2017 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किये गए और सं०फा० 03(64)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/237, तारीख 21/12/2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2020-राज्य कर, तारीख 21/12/2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।